

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| तारीख हुयम | हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---------------|-----------------------------------|

8/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।
पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली
दिनांक 29/8/22 को पेश हो।

(Signature)

2.11.22

29/8/22

पु. अग्रणी/8-
L व 2 की ओर
21/9/22
29.8.22
LR vs. AD

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
उपस्थित है। अग्रणीकरण से 4 से 8
11, 17 व 24 के नोटिस बाद तामील
सेलमन है। बावजूद सूचना के उपस्थित
नहीं होने से इनके विरुद्ध एकतरफा
कार्यवाही की जाती है। अग्रणीकरण से
3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 से 23, 25 व 26
का फल: तलबाना पेश करने पर तलबी
जारी की जावे। अग्रणीकरण 15 अनेटिल
मूल्य की सूचना के साथ प्राप्त हुआ है।
पत्रावली वास्ते काम मुकाम प्रोप्ट एवं
तलबी हेतु दि. 14/10/22 को पेश है।

(Signature)

14/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान
उपस्थित नहीं है। न्यायालय से
रुक-रुक कर 3 बार आवाजें लगवायी
गयीं इसके बाद भी बार-बार
आवाजें लगवायीं गयीं लेकिन वकील
पक्षकारान या पक्षकारान में से कोई भी
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
अतः न्यायालय इस पत्रावली को
जौरकार रखना उचित नहीं समझता
है। अतः पत्रावली अदम सपरी अदम
पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय
खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर
है।



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बुन्दी)